

नियम 58 : गोदाम या भांडागार के स्वामी और परिवहनकर्ताओं द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख

- (1) धारा 35 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार अभिलेखों और लेखाओं का अनुरक्षण करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक व्यक्ति, यदि पहले ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है तो वह अपने कारबार के संबंध में **प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01** सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से ब्यौरे प्रस्तुत करेगा और प्रस्तुत ब्यौरों के विधिमाम्यकरण पर एक विशिष्ट नामांकन नंबर सृजित किया जाएगा तथा उक्त व्यक्ति को संसूचित किया जाएगा।

¹[(1क) इन नियमों के अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए, एक ही स्थायी खाता संख्या वाला कोई ऐसा परिवहक, जो एक से अधिक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत है, अपनी किसी एक माल और सेवा कर पहचान संख्यांक का उपयोग करके **प्ररूप जीएसटी ईएनआर-02** में ब्यौरे देते हुए विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक के लिए आवेदन कर सकेगा और दिए गए ब्यौरों का विधिमाम्यकरण होने पर, विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक बनाया जाएगा और उसे उक्त परिवहक को संसूचित किया जाएगा :

परन्तु जहां उक्त परिवहक ने विशिष्ट सामान्य नामांकन संख्यांक प्राप्त कर लिया है, वहां वह उक्त अध्याय 16 के प्रयोजनों के लिए किसी भी माल सेवा कर पहचान संख्यांक के उपयोग का हकदार नहीं होगा।]

- (2) किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्वोक्त उपनियम (1) के अधीन नामांकित व्यक्ति को राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में नामांकित समझा जाएगा।
- (3) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन नामांकित किया गया है, जहां अपेक्षित हो, **प्ररूप जीएसटी ईएनआर-01** में प्रस्तुत ब्यौरों का सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिकी रूप में या सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केन्द्र के माध्यम से संशोधन करेगा।
- (4) नियम 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए—
- (क) मालों के परिवहन के कारबार में लगा हुआ कोई व्यक्ति परिवहन किए गए, परिदान किए गए और वहन के दौरान उसके द्वारा भंडारण किए गए मालों के अभिलेखों के साथ रजिस्ट्रीकृत पारेषक और पारेषिती का उसकी प्रत्येक शाखा में माल और सेवाकर पहचान नंबर के साथ अभिलेख रखेगा।
- (ख) भांडागार या गोदाम का प्रत्येक स्वामी या प्रचालक उस अवधि के संबंध में, जिसमें भांडागार में विशिष्ट माल रहे, की लेखा बहियां रखेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे मालों के पारेषण, संचलन, प्राप्ति और निपटान से संबंधित ब्यौरे हैं।
- (5) गोदाम का स्वामी या प्रचालक मालों का भंडारण ऐसी रीति में करेगा कि उनकी मदवार या स्वामीवार पहचान की जा सके और मांग किए जाने पर समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए किसी भौतिक सत्यापन को सुकर बनाएगा।

¹ अधिसूचना क्रमांक 28/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2018 द्वारा उप-नियम (1क) अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.06.2018)।